उपखण्ड अधिकारी धोद मु० सीकर

हेमन्त सिंह बनाम हनुमान सिंह

38/18

8/7/19	वकील आवेदक हाजिर। बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दि. 12/8/19 को पेश हो। Sd/-	
19/8/19	पत्रावली कार्यवाही पेश हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समक्ष पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी हिम्मतसिंह की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संधारित नहीं होने व विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल दावा हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/36/2018

हेमन्त सिंह पुत्र दलीपसिंह उम्र 2 वर्ष जाति राजपूत अवयस्क जरिए संरक्षिका माता किरण कंवर पत्नी श्री दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आंतरी तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थी

बनाम

1. हनुमानसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आंतरी तहसील धोद जिला सीकर
2. दलीपसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आंतरी तहसील धोद जिला सीकर
3. उपपंजीयक, धोद
4. तहसीलदार, धोद

–अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री गणपत लाल वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री मदनलाल कुमावत वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 की ओर से

–आदेश–

दिनांक– 19.08.2019

प्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "उपरोक्त उनवानी वाद विधिवत रूप से माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमे प्रार्थी को अपनी सफलता की पूर्ण आशा है।

यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 149 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 2.50 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.36 हैक्टेयर वाके ग्राम आंतरी तहसील धोद जिला–सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमियां पैतृक कृषि भूमियां रही है, जिनमें प्रार्थी का 1/24, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8, वाद में प्रतिवादी सं. 2 का 1/24, प्रतिवादी सं. 3 का 1/8, प्रतिवादी सं. 4 का 1/8, प्रतिवादी सं. 5 का 1/24 हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 149, 226 रकबा 3.36 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से का खातेदार प्रार्थी का दादा व वाद में प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 के पिता हनुमानसिंह पुत्र मुकन्दसिंह राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 तथा वाद में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 की वंशावली निम्नलिखित है–

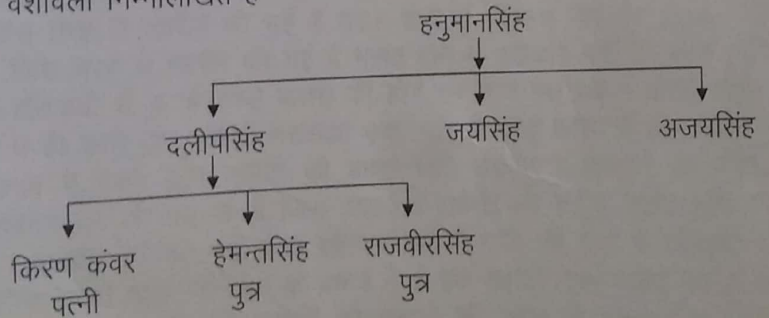

यह कि प्रार्थी के दादा हनुमानसिंह के नाम से उक्त वर्णित कृषि भूमियों में 1/2 हक, हिस्से की खातेदारी दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा वाद में प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 5 की पैतृक संयुक्त कब्जे, काश्त की भूमि है। वर्तमान में भी रेवन्यू रिकार्ड में खातेदारी प्रार्थी के दादा के नाम से अंकित चली आ रही है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थी के दादा के जीवनकाल में ही वाद में प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 2 का 1/8 हक, हिस्सा बनता है। वाद में प्रतिवादी सं. 2 के प्रार्थी एवं वाद में प्रतिवादी सं.

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

5 वारिस है। वादग्रस्त भूमियों में अप्रार्थी सं. 2 दलिपसिंह के नाम 1/8 हक हिस्से की भूमि में से प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा बनता है। अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में से 1/24 हक हिस्सा बनता है, जिस पर प्रार्थी अपने पिता के साथ साथ काबिज होकर जरिए संरक्षिका काश्त करवाता चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थी 1/24 भाग की खातेदारी अपने नाम उद्घोषित करवाने का अधिकारी है।

यह कि पैतृक कृषि भूमि में पिता व दादा के जीवन काल मे ही उनके पुत्र पुत्री व पौत्र का अपने पिता के समान हक, अधिकार होता है, इसलिए वह अपने दादा के जीवन काल में ही अपने पिता के हक व हिस्से की भूमि में अपने पिता के समान ही अपने नाम खातेदारी उद्घोषित करवाने का अधिकारी है।

यह कि प्रार्थी के पिता तथा अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी का दादा वर्तमान में प्रार्थी व उसकी माता से नाराज चल रहे है तथा चिड़चिड़े स्वभाव के व फिजूल व्यक्ति है। अप्रार्थी सं. 1 का खातेदारी में 1/2 हक, हिस्सा होने का नाजायज फायदा उठाकर वह अप्रार्थी सं. 2 के सहयोग से वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। जिनका कोई हक, अधिकार उनको नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 आपस में मिले हुए है। दिनांक 4.7.2019 से अप्रार्थी सं. 1 व 2 वादग्रस्त भूमि को अजनबी भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को बैचने व कब्जा कराने पर आमादा है। अतः न्यायाहित में अप्रार्थी सं. 1 व 2 की उपर्युक्त कुचेष्ठाओं से बाज रहने हेतु उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है।

यह कि प्रार्थी का प्रबल प्राईमाफेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को मय उसके नौकरजन, एजेंटगण, प्रतिनिधिगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमियों कृषि भूमि खसरा नम्बर 149 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 2.50 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.36 हैक्टेयर वाके ग्राम आंतरी तहसील धोद जिला-सीकर में प्रार्थी के हक व हिस्से में आने वाली 1/24 भाग की भूमि की नींव तोड़ फोड़ करने, पेड़ पौधे काटने, कच्चा, पक्का निर्माण करने, रहन विक्रय हस्तांन्तरण करने, तथा प्रार्थी के उपयोग, उपभोग में किसी भी रूप में दखलंदाजी करने से बाज रहे तथा इस आशय की तहरीर अप्रार्थीगण सं. 3 से 4 के नाम जारी की जावें।

आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1, 2 कि ओर से उनके अभिभाषक ने उपस्थित आकर जवाब आवेदन पत्र पेश किया।

जवाब आवेदन पत्र में उल्लेखित किया है कि आवेदन पत्र की मद संख्या 1 में वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का तथ्य सही है। परन्तु प्रार्थी को सफलता की आशा करना केवल दुराशा मात्र है। अंकित आराजियात सही है अतः स्वीकार है। बकिया मद हाजा जिस तरह से तहरीर की गई है गलत होने से स्वीकार नहीं है। आवेदन पत्र की मद संख्या 3 सही है अतः स्वीकार है। आवेदन पत्र की मद सं. 4 में अंकित वंशावली जिस तरह से तहरीर की गई है गलत होने से स्वीकार नहीं है। आवेदन पत्र की मद सं. 5 जिस तरह से तहरीर की गई है गलत होने से स्वीकार नहीं है। उक्त कृषि भूमियां वादी व प्रतिवादी सं. 5 के कब्जे काश्त की होने का तथ्य इस मद में कतई गलत अंकित किया है न ही वादी द्वारा जरिये संरक्षिका उक्त भूमि में कोई काश्त है इस कारण वादी कब्जे के अभाव में उक्त कृषि भूमियों की बाबत कोई उदघोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। आवेदन पत्र की मद सं. 6 जिस प्रकार से तहरीर की गई है गलत होने से स्वीकार नहीं है। आवेदन पत्र की मद सं. 7 स्वीकार नहीं है वादी की माता व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 से रंजिश रखने वाले व्यक्तियों के प्रभाव में है इस कारण उसने उक्त मद में सभी तथ्य झुठें व मनगढन्त उक्त कृषि भूमियों को हड़पने की गरज से कतई गलत अंकित कर वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है न तो अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त कृषि भूमियों को किसी दीगर व्यक्तियों को कभी बेचान हेतु दिखाया न ही किसी से विक्रय का इकरार किया। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाये जाने का अधिकारी नहीं है। यह कि प्रार्थी का पत्रावली पर कोई प्रथम दृष्ट्या केश नहीं है, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी नहीं होने के कारण आवेदन प्रार्थी निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी कि ओर से यह कथन किया गया कि प्रार्थी के पिता व दादा मिलकर उक्त विवादित आराजी को बेचने पर आमादा है। वकील प्रार्थी ने एक नजीर 2005 RRC 322 भी अपने पक्ष में पेश की। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने यह अवगत करवाया कि वादी, प्रतिवादी सं. 1 का पौत्र है तथा भूमि भी प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है। अतः पौत्र अपने पिता के जीवित रहते हुए दादा की भूमि में हक प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने के कारण उक्त टी.आई. आवेदन खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2070–2073 के अनुसार विवादित आराजियात में प्रार्थी के दादा अप्रार्थी सं. 1 के नाम पर 1/2 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी का दादा है तथा अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थी का पिता है तथा दोनों जीवित है। पिता के जीवित रहते हुए पौत्र अपने दादा की भूमि में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। इसलिए प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं हो सकती है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर उस स्थिति में लागू होती है, जब दादा की मृत्यु हो जावे। अतः प्रस्तुत नजीर इस मामले में चस्पा नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

अतः प्रार्थी हेमन्त सिंह कि ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने व विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल दावा हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद न्यायालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner